आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Labour and Employment, Goa (Goa Building and Other Construction Workers' Welfare Board)

Death Benefit (Goa Building and Other Construction Workers' Welfare Board)

गोवा निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड मृत सदस्य के नामित व्यक्तियों या आश्रितों को रकम देता है, और काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर अधिक रकम मिलती है।

क्या मिल सकता है

स्वाभाविक मृत्यु होने पर बोर्ड नामित व्यक्तियों या आश्रितों को तय रकम दे सकता है, और रोजगार के दौरान दुर्घटना से मृत्यु होने पर अधिक रकम दी जाती है। रकम नीचे पुराने नियमों में दी गई है।

किसके लिए है

गोवा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के मृत सदस्य के नामित व्यक्ति या आश्रित।

मुख्य शर्तें

- मृत श्रमिक बोर्ड का सदस्य रहा होना चाहिए।
- आवेदक लाभ का हकदार नामित व्यक्ति होना चाहिए।
- आवेदन के साथ असिस्टेंट सर्जन से कम पद के न हों ऐसे सरकारी डॉक्टर का मृत्यु प्रमाणपत्र लगाना जरूरी है।

दस्तावेज़

- असिस्टेंट सर्जन से कम पद के न हों ऐसे सरकारी डॉक्टर द्वारा मृत्यु या दुर्घटना से मृत्यु का प्रमाणपत्र
- बोर्ड द्वारा बताए अन्य दस्तावेज

आवेदन कैसे करें

1. बोर्ड से फॉर्म नंबर XXXVII (मृत्यु लाभ का आवेदन) लें।
2. उसे भरें और सरकारी डॉक्टर का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा बोर्ड के बताए अन्य दस्तावेज लगाएं।
3. उसे बोर्ड के सचिव या उनके अधिकृत अधिकारी के पास जमा करें। आदेश के साठ दिन के भीतर बोर्ड में अपील की जा सकती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://labour.goa.gov.in/wp-content/uploads/2020/07/Scheme-6-Death-Benefit.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/goa/goa-bocw-death-benefit/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।